28.1.2021	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में आदेश लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से कम होकर मूल दावा पत्रावली के शामिल रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:02:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीनः– अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0 18 / 2017

आर.सी.एम.एस 2017 / 00111

तारीख रजू 02.08.2017

1. निहाल सिंह पुत्र रामजीलाल आयु 55 साल जाति माली निवासी आमनकापुरा तहसील जिला करौली।
2. संजय पुत्र सुरज्ञान आयु 25 साल जाति माली निवासी आमनकापुरा तहसील करौली जिला करौली।
3. मुखराज पुत्र सुरज्ञान आयु 23 साल जाति माली निवासी आमनकापुरा तहसील करौली जिला करौली।
4. शिवराज पुत्र सुरज्ञान आयु 20 साल जाति माली निवासी आमनकापुरा तहसील करौली जिला करौली
5. रामजीलाल पुत्र गणेश आयु 85 साल जाति माली निवासी आमनकापुरा तहसील करौली जिला करौली।
6. सरवती पत्नि शिवनारायण आयु 55 जाति माली निवासी आमनकापुरा तहसील करौली जिला करौली।

—वादी

बनाम

1. स्वरूप सिंह पुत्र जयलाल आयु 80 साल जाति गुर्जर निवासी मासलपुर चुंगी तहसील करौली जिला करौली।
2. अतर सिंह पुत्र स्वरूप सिं आयु 50 साल जाति गुर्जर निवासी मासलपुर चुंगी तहसील करौली जिला करौली।
3. सुमेर पुत्र स्वरूप सिंह आयु 45 साल जाति गुर्जर निवासी मासलपुर चुंगी तहसील करौली जिला करौली।
4. इन्द्रजीत पुत्र स्वरूप सिंह आयु 40 जाति गुर्जर निवासी मासलपुर चुंगी तहसील करौली जिला करौली।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट

:निर्णय:

दिनांक: 21.1.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सायलान जाति माली है तथा एक ही परिवार के सदस्य है निहाल सिह रामजीलाल के पुत्र तथा संजय [illegible] शिवराज रामजीलाल के पुत्र सुरज्ञान के लडके है कलावती सरस्वती हमारे [illegible] और सायलान स्वरूप सिंह गुर्जर के बच्चे व स्वंय है व[illegible] गाव के नि[illegible] है करौली मासलपुर चुंगी नाका करौली पर आकर रहने लगे है राजकानून से [illegible] है [illegible]मामाफिया है खुले में कहते है कि पुलिस कानून हमारा क्या विगाड लेगा। आराजी खस[illegible] नम्बर 2175,2176,2177 कुल रकवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:02:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

7.00 बीघा 0.08 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2178/2 रकवा 8.00 बीघा 0.01 बिस्वा सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिससे गैर सायलान का किसी प्रकार का खातेदारी काश्तकारी काबिजाना सम्बन्ध नही है। सायलान की उक्त आराजीयात में तिली बाजार की फसल खडी हुयी है। जिससे गैर सायलान का कोई सम्बन्ध नही है। सायलान के खेत से लगी हुयी सिचाई विभाग की जमीन खसरा नम्बर 1870/3 रकवा 6.00 बीधा 0.05 बिस्वा है जिससे गैर सायलान का कोई काश्ताकारी सम्बन्ध नही है सरकारी भूमि है फरीकेन का सरकारी भूमि पर काश्त करने का कोई अधिकार नही है। दिनांक 30.07.2017 को गैर सायलान सायलान के खेत पर पटवारी को लेकर नाये और पटवारी से कहा कि सायलान से खेत को गैर सायलान के खेत के अन्दर तक बता दे लेकिन पटवारी ने एस करने से मना कर दिया और कहा कि में तो वास्तविक हालात को पताउगा कि खसरा नम्बर 2175 से 2177 और 2178 सायलान का 15.00 बीघा 0.09 बिस्वा का रकवा है जिसमें बाजरा तिली की फसल खडी हुयी है। इनसे गैर सायलान का कोई सम्बन्ध नही। खसरा नम्बर 1870/3 सिचाई विभाग की भूमि है। किन्तु गैर सायलान जाति से गुर्जश्र होने के कारण जवरन सायल की खडी फसल को काट करना चाहते है और पेडों को एल.एनटी.से उखाड कर फेंक दिया सायलान गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टश्र किया जाकर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैर सायलान उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि सायलान ने सायलान का राजकानून से निडर हो भूमाफिया हो और सायलान को धमण्डी देते हो गलत दर्ज किया है गैर सायलान करौली में करीव 40 वर्ष से मुस्ताकिल तौर पर रह रहे है और गैर सायलान न01 ग्राम खेडा का सरपंच रहा है और एक मोजिज व्यक्ति है गैरसायल काश्तकार पेशा व्यक्ति आराजीयात किस स्थान पर किस शहर मे स्थित है सायलान ने अकित नही किया है गैर सायलान की खातेदारी व कस्वे की आराजीयात पटवार हल्का न0 8 करौली में खसरा नम्बर 1870/1, 18710/2 ,1872,1873,1874,1876,1885,1886 करीब 15.00 बीघा भूमि है जिसे अन्य व्यक्ति का कोई सरोकार नही है जो नदी मडावती के किनारे कस्वा करौली में है । खसरा नम्बर 1870/3 सिंचाई विभाग की भूमि में कोई काश्त होती हो गलत है। सायलान खातेदारी की खसरा नम्बर 1870/3 पर कस्वा करना चाहते है गैर सायलान कभी भी किसी पटवारीको लेकर सिकी के खेत पर नही गये है ना पटवारी महेश कोली को लेकर गये है। सायलान ने समस्त तथा गलत दर्ज किये है। सायलान गैरसायलान के विरूद्व कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करेने अधिकारी नही है।

सायलान शुद्व हस्त से नही आये सायलान ने दावा व दर0चालाकी पूर्ण तरीके से मिथ्या अभिवचन कर प्रस्तुत किये है। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य है।

अन्त में प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का विवेचन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 में खसरा नम्बर 2175,2176,2178 एवं खसरा नम्बर 2178/2 सायलान के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है एवं खसरा नम्बर 1870/3 सिंचाई विभाग की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1870/1,1870/2, 1872,1873,1874,1876,1877,1884,1885, गैर सायलान की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। सायलान व गैर सायलान के हक में अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन उभयपक्ष को एक दूसरे की आराजी मं हस्तक्षेप नही करने एवं सिचाई विभाग की भूमि में हस्तक्षेप नही करने को पाबन्द किये जाने मे प्रतीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:02:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

होना है। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष को ताफैसला वादपत्र पाबन्द अस्थाई निषेधाज्ञा से किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह आराजी खसरा नम्बर 2175,2176,2177,2178/2 कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीघा 0.09 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का न0 8 में सायलान के कब्जे काश्त में नही हरे एवं सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह आराजी खसरा नम्बर 1870/1,1870/2,1872,1873,1874,1876,1885,1886 कुल किता 08 में गैरसायलान के कब्जे काश्त मे मदाखलत नही करें।

उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खसरा नम्बर 1870/3 रकबा 6.00 बीघा 0.05 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का न08 तहसील करौली जिला करौली में सिंचाई विभाग की भूमि में हस्तक्षेप नही करें।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:02:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner